भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रशन संख्या 3739

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2017/3 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

<u>सीएसआर</u>

3739. श्री इन्नोसेन्ट :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए एक विनियामक एवं निगरानी प्राधिकरण के गठन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): जी, नहीं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों हेतु नियामक और निगरानी प्राधिकरण के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के तहत सीएसआर की निगरानी कंपनी के निदेशक बोर्ड की जिम्मेदारी है।

*****